प्रेस नोट

जनपद बागपत   दिनांक 16.04.2026

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चिन्हित कुख्यात अन्तर्राज्यीय आपराधिक माफिया अमरपाल उर्फ कालू व अन्य उसके सहयोगी अभियुक्तों वीरसैन, शास्त्री उर्फ धर्मदत्त को ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत बागपत पुलिस और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने के परिणामस्वरूप गैंगस्टर एक्ट में माननीय न्यायालय द्वारा प्रत्येक अभियुक्त को कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

कार्यवाही-

अवगत कराना है कि **उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चिन्हित कुख्यात अन्तर्राज्यीय आपराधिक माफिया 1-अमरपाल उर्फ कालू पुत्र श्यामसिंह व अन्य अभियुक्त 2- वीरसैन पुत्र कृत्तेराम, 3-शास्त्री उर्फ धर्मदत्त पुत्र नरेश निवासीगण ग्राम लुहारा थाना छपरौली जनपद बागपत, 4-नीटू पुत्र ओमपाल के** विरूद्ध थाना छपरौली पर वर्ष-2015 में मु0अ0सं0 279/2015 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था । उक्त अभियोग में ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत बागपत पुलिस और अभियोजन पक्ष द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 16.04.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी द्वितीय जनपद बागपत **द्वारा आरोपी अमरपाल उर्फ कालू को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अभियुक्त वीरसैन को 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अभियुक्त शास्त्री उर्फ धर्मदत्त को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 30,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित** किया गया है। अभियुक्त अमरपाल उर्फ कालू के विरूद्ध जनपद बागपत, मेरठ तथा हरियाणा सहित कई प्रदेशों में संगीन धाराओं में 44 अभियोग जिसमें गैंगस्टर, हत्या, लूट, हत्या के प्रयास एवं आर्म्स एक्ट आदि के अभियोग पंजीकृत हैं। शेष अभियोगों

एडीजीसी श्री इन्द्रपाल सिंह

का0 हरदीप

कोर्ट पैराकार

थाना छपरौली

विवेचक-

निरीक्षक श्री अशोक कुमार

में भी मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभारी पैरवी कर मा0 न्यायालय से दण्डित कराया जाएगा। बागपत पुलिस शेष माफियाओं के विरूद्ध भी कार्यवाही हेतु कटिबद्ध है।

उक्त माफिया अमरपाल उर्फ कालू की 6,50,000 की सम्पत्ति धारा 14 (1) के अन्तर्गत कुर्क की जा चुकी है।

नोट- उपरोक्त तीनो अभियुक्तों अमरपाल उर्फ कालू व अन्य उसके सहयोगी अभियुक्तों वीरसैन, शास्त्री उर्फ धर्मदत्त को थाना छपरौली के मु0अ0सं0 181/2015 धारा 147/149/364/302/201/34 भादवि के अन्तर्गत वादी के 02 भाईयों का अपहरण कर दोनों की हत्या करने की घटना कारित करने के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 30.06.2025 को आजीवन कारावास व 75,000-75,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जा चुका है।

चिन्हित माफिया अमरपाल उर्फ कालू का आपराधिक इतिहास-

d0la0	eq0v0la0	/kkjk	Fkkuk	tuin
1	167@03	/kkjk 25@27 vkeZ0 ,DV	NijkSyh	ckxir
2	279@15	/kkjk 2@3 xSx0 vf/k0	NijkSyh	ckxir
3	359@12	/kkjk 216 Hkknfo	NijkSyh	ckxir
4	123@20	/kkjk 420]411 Hkknfo	cMkSr	ckxir
5	358@12	/kkjk 25 vkeZ0 ,DV	NijkSyh	ckxir
6	184@15	/kkjk 25@27 vkeZ0 ,DV	NijkSyh	ckxir
7	249@21	/kkjk 3@25@27 vkeZ0 ,DV	NijkSyh	ckxir
8	135@19	/kkjk 307 Hkknfo	jekyk	ckxir
9	01@12	/kkjk 392]411 Hkknfo	jekyk	ckxir
10	324@16	/kkjk 506 Hkknfo	NijkSyh	ckxir
11	220@12	/kkjk 2@3 xSx0 vf/k0	cMkSr	ckxir
12	181@15	/kkjk 147]149]364]302]201]34 Hkknfo	NijkSyh	ckxir
13	183/15	/kkjk 504/506 Hkknfo	छपरौली	बागपत
14	158/15	/kkjk 392 Hkknfo	छपरौली	बागपत
15	103/16	/kkjk 302/120 बी Hkknfo	सि0अहीर	बागपत
16	204/21	/kkjk 323/504/506/307/386 Hkknfo	छपरौली	बागपत
17	236/21	/kkjk 147/224/332/353 Hkknfo व 7 सीएलए एक्ट	बागपत	बागपत
18	235/22	/kkjk 147/148/149/302/34 Hkknfo	बडौत	बागपत
19	875/22	/kkjk 3/25/27 आर्म्स एक्ट	बडौत	बागपत
20	308/22	/kkjk 307/414 Hkknfo	बडौत	बागपत
21	69@12	/kkjk '25 vkeZ0 ,DV	cMkSr	ckxir

22	67@12	/kkjk '147]148]149]307 Hkknfo	cMkSr	
23	66@12	/kkjk 399]402 Hkknfo	cMkSr	
24	197/09	धारा 25/04 शस्त्र अधि0	छपरौली	
25	157/09	धारा 223/224 भादवि	रमाला	
26	382/12	धारा 379/411 भादवि	छपरौली	
27	462/14	धारा 307 भादवि पु0 मुठभेड	छपरौली	
28	463/14	धारा 25 शस्त्र अधि0	छपरौली	
29	224/12	धारा 13 जी एक्ट	शिवाजी कालोनी	
30	528/06	धारा 307 भादवि	झिंझाना	
31	529/06	धारा 25 शस्त्र अधि0	झिंझाना	
32	76/07	धारा 147/148/336/506/307 भादवि	मेडिकल मेरठ	
33	197/06	धारा 110 जी सीआरपीसी	छपरौली	
34	62/07	धारा 110 जी सीआरपीसी	छपरौली	
35	215/09	धारा 110 जी सीआरपीसी	छपरौली	
36	230/09	धारा 3 यूपी गुण्डा अधि0	छपरौली	
37	418/10	धारा 110 जी सीआरपीसी	छपरौली	
38	446/10	धारा 3 यूपी गुण्डा अधि0	छपरौली	
39	66/13	धारा 3 यूपी गुण्डा अधि0	छपरौली	
40	14/14	धारा 110 जी सीआरपीसी	छपरौली	
41	166/03	धारा '364/302/201 भादवि	छपरौली	
42	एनसीआर-84/19	धारा 323/504 भादवि	छपरौली	
43	131/07	धारा 147/148/149/307/302 भादवि	दोघट	
44	241/07	धारा 25/27 शस्त्र अधि0	दोघट	

आरोपी वीरसैन का आपराधिक इतिहास-

Ø0l a0	eq0v0l0 /kkjk	Fkkuk	tuin
1	मु 181@15 /kkjk 147]149]364]302]201]34 Hkknfo	NijkSyh	ckxir
2	279@15 /kkjk 2@3 xSx0 vf/k0	NijkSyh	ckxir

आरोपी शास्त्री उर्फ धर्मदत्त का आपराधिक इतिहास-

Ø0la0	eq0v0l0/kkjk /kkjk	Fkkuk	tuin
1	181@15/kkjk147]149]364]302]201]34 Hkknfo	NijkSyh	ckxir
2	183@15/kkjk504-506 Hkknfo	NijkSyh	ckxir
3	185@15 /kkjk25@27 ,0,DV	NijkSyh	ckxir
4	796@23 /kkjk 307-414-115 Hkknfo 3-25-27 vkElZ ,DV	ckxir	ckxir
5	279@15 /kkjk2@3 xSx0 vf/k0	NijkSyh	ckxir

दोषसिद्ध अपराधियों का नाम व पता-

1-अमरपाल उर्फ कालू पुत्र श्यामसिंह ग्राम लुहारा थाना छपरौली जनपद बागपत।

(एचएस नं0 816ए, गैंग नं0- डी0-81)

(07 वर्ष का सश्रम कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड)

2-वीरसैन पुत्र कृत्तेराम निवासी ग्राम लुहारा थाना छपरौली जनपद बागपत।

(02 वर्ष का कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड)

3-शास्त्री उर्फ धर्मदत्त पुत्र नरेश निवासी ग्राम लुहारा थाना छपरौली जनपद बागपत।

(05 वर्ष का कारावास व 30,000 रुपये के अर्थदण्ड)

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली **दिनाँक 16.04.2026**

थाना छपरौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचनाः-बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाऐ। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान मे आता है तो उसके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाऐगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- शिवा पुत्र सतीश उर्फ सत्तू निवासी ग्राम मुकन्दपुर थाना छपरौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री रोहित कुमार

2-है0का0 564 जितेन्द्र सिंह

3- का0 511 धर्मेन्द्र कुमार

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली **दिनाँक 16.04.2026**

थाना छपरौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 कारतूस बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना:-बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाऐ। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान मे आता है तो उसके विरूद्व कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाऐगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- विशाल पुत्र बलवान निवासी ग्राम लूम्ब थाना छपरौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा 315 बोर मय एक जिंदा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री रविन्द्री थाना छपरौली।

2-है0का0 230 सुनील नागर थाना छपरौली।

3- का0 137 राजकुमार थाना छपरौली।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली दिनाँक 16.04.26

थाना छपरौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचनाः-बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि को थाना छपरौली । ई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाऐ। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान मे आता है तो उसके विरूद्व कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाऐगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- गोल्डी पुत्र मनोज कुमार निवासी ग्राम लूम्ब थाना छपरौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिंदा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री वृक्षपाल सिंह थाना छपरौली ।

2-है0का0 520 सरफराज थाना छपरौली ।

3- का0 1040 अजीत थाना छपरौली ।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली दिनाँक 16.04.2026

थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 80/26 धारा 103(1)/238(ए)/3(5) बीएनएस व धारा 9/25 आर्म्स एक्ट में वांछित बाल अपचारी के विरूद्ध की कार्यवाही, जिसकी निशांदेही पर आलाकत्ल एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक खोखा कारतूस व रक्तरंजित चादर को किया बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.04.2026 को थाना छपरौली पर वादी श्री नुकूल पुत्र श्री प्रदीप निवासी ग्राम सिनौली थाना छपरौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त 1. मंजीत पुत्र भूरु (भोगा) निवासी ग्राम सिनौली थाना छपरौली जनपद बागपत व 2. एक व्यक्ति अज्ञात निवासी बुढपुर द्वारा वादी के भाई मुकुल उम्र करीब 24 वर्ष को घर से अपने साथ कहीं ले

गये थे व हत्या कर शव को कहीं छिपा दिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 80/26 धारा 103(1)/238 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 80/26 धारा -103(1)/238(ए)/3(5) बीएनएस व धारा 9/25 आर्म्स एक्ट में वांछित बाल अपचारी के विरूद्ध कार्यवाही की गई, जिसकी निशांदेही पर आलाकत्ल एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक खोखा कारतूस व रक्तरंजित चादर को बरामद किया गया है।

उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार व बरामदगी पर अभि0 के विरुद्ध धारा 9/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गई है।
उपरोक्त अभियोग में थाना छपरौली पुलिस द्वारा दिनांक 15-04-2026 को अभियुक्त मंजीत उर्फ गौरव पुत्र बाबूराम उर्फ भूरु उर्फ भूरा को गिरफ्तार किया जा चुका है।

बरामदगी का विवरण

- आलाकत्ल एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 खोखा कारतूस ।
- एक रक्तरंजित चादर।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री आशीष कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत ।
2-उ0नि0 श्री अमित कुमार गोला थाना छपरौली जनपद बागपत।
3-उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत।
4-है0का0 213 मोहित सैनी थाना छपरौली जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट **दिनाँक-16.04.2026**

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 101/2026 धारा 333/109(1) बीएनएस में वाँछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.04.2026 को थाना दोघट पर वादी श्री लोकेन्द्र पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम झुण्डपुर थाना दोघट जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि दिनांक 15.04.2026 को अभियुक्त जोगिन्द्र पुत्र चन्दर निवासी ग्राम झुण्डपुर थाना दोघट जनपद बागपत द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी के पिता महेन्द्र सिंह के ऊपर जान से मारने के उद्देश्य से हमला कर देना जिससे वादी के पिता गम्भीर रूप से घायल हो गये है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0स0 101/2026 धारा 333/109 (1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने पर मु0अ0स0 101/2026 धारा 333/109(1) बीएनएस में वाँछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एंव अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जोगेन्द्र उर्फ भूरा पुत्र चन्दर निवासी ग्राम झुण्डपुर थाना दोघट जनपद बागपत उम्र करीब 29 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री सुखपाल सिंह थाना दोघट जनपद बागपत
2-उ0नि0 दिव्य कुमार थाना दोघट जनपद बागपत
3-का0 73 रविन्द्र कुमार थाना दोघट जनपद बागपत

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत दिनाँक 16.04.2026

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 246/26 धारा 115(2)/352/131/110/351(2) बी.एन.एस. से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

दिनांक 15.04.2026 को थाना बडौत पर वादी मौ0 वसीम पुत्र इलियास निवासी मौ0 पठानकोट छोटी मस्जिद के पास कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1.सोनू उर्फ आस मौहम्मद व 2.मोनू पुत्रगण नूरदीन निवासी ग्राम नाला थाना कांधला जनपद शामली व उसके अन्य साथी नाम पता अज्ञात के द्वारा वादी तथा उसके भतीजे के साथ गाली-गलौच कर पंच से हमला कर मारपीट करना जिससे उसका मौके पर बेहोश हो जाना तथा जान से मारने की धमकी देना, जिसके पश्चात वादी तथा जनता के लोगों के द्वारा अभियुक्त आस मौहम्मद उर्फ सोनू पुत्र नूरदीन निवासी ग्राम नाला थाना कांधला जनपद शामली को पकड कर थाने लाया गया। थाना बडौत पुलिस द्वारा अभियुक्त आस मौहम्मद उर्फ सोनू उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0स0 246/26 धारा 115(2)/352/131/110/351(2) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आस मौहम्मद उर्फ सोनू पुत्र नूरदीन निवासी ग्राम नाला थाना कांधला जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-है0का0 507 पवन कुमार थाना बडौत।

2-का0 1085 आशीष यादव थाना बडौत।
3-एचजी 346 दिनेश कुमार थाना बड़ौत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत दिनाँक 16.04.2026

थाना बडौत पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांरटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 02 वांरटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का नाम व पता-

1.युसुफ पुत्र जहूरहसन निवासी मौ0 टंकी वाला थाना बिनौली जनपद बागपत।
2.राजवीर सिंह पुत्र फेरू निवासी ग्राम पुसार थाना दोघट जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री रामकुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
2.है0का0 735 संदीप कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
3.है0का0 664 शेरसिंह थाना बडौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक-16.04.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 230/2026 धारा 305(a) बीएनएस व मु0अ0सं0 231/26 धारा 305(a) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ 01 सिलेण्डर व दुकान का सामान तथा 780 रुपये नगद बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

1.दिनांक 15.04.2026 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री अंकुर गोयल, निवासी सिटी प्लाजा, बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी के घर से गैस सिलेन्डर चोरी कर लिया है। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 230/26 धारा 305(a) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

2.दिनाँक 15.04.2026 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी मोहित वर्मा पुत्र श्री राजकुमार वर्मा निवासी मोहल्ला जैन बागपत थाना व जिला बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी की दुकान से 02 रजनी गन्धा के डिब्बे, 15 गोल्ड फ्लैक कि डिब्बी, 15 एटवास सिगरेट की डिब्बी, 20 डिब्बी सिगरेट जिसकी कीमत 400 रूपये, 15 डिब्बी बडे वाली, 05 मण्डल छोटे बडे 502 कि डिब्बी, 03 दिलबाग के डिब्बे, 02 शिखर के डिब्बे, 05 डिब्बे कमला पसद, चिप्स नमकीन कि लडीया का जो कि नमकीन कि एक पेटी, हैल एक पेडी, एक पेडी रैडबुल, कैम्पा केन एक पेटी करीब 5000 रूपये खुले पैसो, 11000/ रूपये चोरी कर लिये है। इस सम्बध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 231/26 धारा 305(a) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोगों की विवेचना के दौरान अभियुक्त वासिफ उर्फ शुक्का पुत्र हारून निवासी नई बस्ती मुगलपुरा कस्बा व थाना बागपत उम्र करीब 21 बर्ष का नाम प्रकाश

में आया। मुकदमा उपरोक्त में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की वृध्दि की गयी है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 230/26 धारा 305(a) बीएनएस व मु0अ0सं0 231/26 धारा 305(a) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ सिलेण्डर व दुकान का सामान तथा 780 रुपये नगद बरामद हुए है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

वासिफ उर्फ शुक्का पुत्र हारून निवासी नई बस्ती मुगलपुरा कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत उम्र करीब 21 वर्ष

गिरफ्तारी का स्थान- महिला थाना कट से अहैडा की ओर

बरामदगी का विवरण –

- 780/ रूपये।(सम्बन्धित मु0अ0सं0 231/26 धारा 305(a) बीएनएस)
- 01 सिलेण्डर (सम्बन्धित मु0अ0सं0 230/26 धारा 305(a) बीएनएस)
- 02 पैकेट 502 पटाका बीड़ी, एक पैकेट कमला पसन्द पान मसाला, 02 पैकेट दिलबाग पान मसला, 02 पैकेट डीवी रोयल पैकेट, 02 डिब्बी स्टाइल सिगरेट , 01 डिब्बी गोल्डफेलेग, 03 बण्डल 502 पटाका बीड़ी (सम्बन्धित मु0अ0सं0 231/26 धारा 305(a) बीएनएस)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 शारिक अली खान थाना कोतवाली जनपद बागपत
2-है0का0 151 संदीप दहिया थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
3-है0का0 652 मोहित कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला दिनाँक 16.04.2026

थाना रमाला पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शाकिब पुत्र ताज मौहम्मद उर्फ ताजू निवासी पट्टी मूले जाट ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 सनव्वर अली थाना रमाला जनपद बागपत

2-है0क0 332 कमल किशोर थाना रमाला जनपद बागपत

3-हो0गा0 581 सुभाष थाना रमाला जनपद बागपत